भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 680

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

नक्सल गतिविधियों के कारण प्रभावित जिले और राज्य

680. श्रीमती शशिकला पुष्पा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में नक्सली गतिविधियों में वृद्धि हो रही है;
(ख) यदि हां, तो नक्सली गतिविधियों से प्रभावित जिलों और राज्यों की संख्या कितनी-कितनी है;
(ग) क्या सरकार नक्सलियों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए कोई नई नीतियां लाने का विचार रखती है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ड.) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी**)

(क)और(ख): दस राज्यों के 106 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित माने जाते हैं। इस प्रकार के जिलों की राज्य-वार सूची संलग्न है। तथापि, देश के उन जिलों, जहां किसी भी प्रकार की वामपंथी उग्रवाद से संबंधित गतिविधियां देखी गईं हैं, की संख्या से संबंधित वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	जिलों की संख्या	राज्यों की संख्या
2010	**196**	**20**
2011	**203**	**20**
2012	**198**	**18**
2013	**182**	**20**
2014	**161**	**16**

यह स्पष्ट है कि उन जिलों, जहां किसी भी प्रकार की वामपंथी उग्रवाद से संबंधित गतिविधियां देखी गईं हैं, की संख्या में कमी आ रही है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त यह उल्लेखनीय है कि विगत चार वर्षों, 2011 से 2014 के दौरान वामपंथी उग्रवादी हिंसा की घटनाओं तथा उनमें होने वाली मौतों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी आई है। वामपंथी उग्रवादी हिंसा की घटनाओं तथा उनमें हुई मौतों की संख्या से संबंधित वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

---2/-

वर्ष	घटनाएं	मौतें
2010	2213	1005
2011	1760	611
2012	1415	415
2013	1136	397
2014	1091	309

(ग) से (ङ.): वामपंथी उग्रवादियों को मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य सरकारों की अपनी समर्पण एवं पुनर्वास नीतियां हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार इस संबंध में अपनी स्वयं की नीति के आधार पर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों के पुनर्वास पर राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है।

भारत सरकार ने दिनांक 01.04.2013 से 'प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवादियों की समर्पण-सह-पुनर्वास-योजना' से संबंधित दिशानिर्देश संशोधित किए हैं। संशोधित नीति के अनुसार, केन्द्र सरकार आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कॉडरों को, उच्च रैंक वाले वामपंथी उग्रवादी कैडर को 2.5 लाख रुपए तथा मध्य/निम्न रैंक वाले उग्रवादी कॉडरों को 1.5 लाख रुपए की सीमा के अध्यधीन तत्काल अनुदान आधार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। समर्पित हथियारों/गोला बारुद के लिए दिए जाने वाले अतिरिक्त प्रोत्साहनों की भी प्रतिपूर्ति की जाती है जो डिटोनेटर से लेकर लाइट मशीनगन, रॉकेच लाँचर आदि तक समर्पित हथियार की किस्म के आधार पर प्रति हथियार 10 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक होता है। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आत्मसमर्पण कर चुके कॉडर को अधिकतम 36 माह की अवधि के लिए प्रति कॉडर 4000/-रुपए प्रति माह की सीमा के अध्यधीन उनको भुगतान कए जाने वाले मासिक वजीफे की भी प्रतिपूर्ति की जाती है। संशोधित नीति में राज्य सरकारों द्वारा जांच सह-पुनर्वास-समितियों के गठन की भी परिकल्पना की गई है, जो आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी कॉडरों की पहचान और पुनर्वास की प्रक्रिया में शामिल होती हैं।

अनुलग्नक

दिनांक 29.04.2015 का रा०स०अता०प्र०सं०-680

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित समझे गए 106जिलों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	जिलों का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	8	अनंतपुर, पूर्व गोदावरी, गुंटूर, कुरनूल, प्रकासम, श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम एवं विजियानगरम ।
2.	बिहार	22	अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, बांका, लखीसराय, बेगूसराय एवं खगड़िया ।
3.	छत्तीसगढ़	16	बस्तर, बीजापुर, दांतेवाड़ा, जशपुर, कांकेर, कोरिया (बैकुंठपुर), नारायणपुर, राजनंदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलोद, सुकमा, कोंडागांव एवं बलरामपुर ।
4.	झारखंड	21	बोकारो, चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहर, लोहरडग्गा, पलामू, रांची, सिमडेगा, सरायकेला-खरसवान, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़, दुमका, देवघर एवं पाकुर ।
5.	मध्य प्रदेश	1	बालाघाट
6.	महाराष्ट्र	4	चंद्रपुर, गढ़चिरोली, गोंडिया एवं अहेरी।
7.	ओडिशा	19	गजपति, गंजम, क्योंझर, कोरापुट, मलकानगिरि, मयूरभंज, नवरंगपुर, रायगढ़, संभलपुर, सुंदरगढ़, नयागढ़, कोंधमाल, देवगढ़, जाजपुर, धेनकनाल, कालाहांडी, नौपाड़ा, बारगढ़ एवं बोलनगीर ।
8.	तेलंगाना	8	अदिलाबाद, करीमनगर, खम्माम, मेदक, महबूबनगर, नलगोंडा, वारंगल एवं निजामाबाद ।
9.	उत्तर प्रदेश	3	चंदौली, मिर्जापुर एवं सोनभद्र ।
10.	पश्चिम बंगाल	4	बांकुरा, पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया एवं बीरभूम ।
कुल		106	

*****